



Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE



“ऑपरेशन कन्विकशन” के क्रम में लूट की घटना कारित करने के आरोपी आरिफ को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 06 वर्ष 08 माह 18 दिन का कारावास व 2000 रुपये अर्थदण्ड की सजा-



ए.पी.ओ. श्री मनोज कुमार पटेल

अवगत कराना है कि वर्ष 2016 में अभियुक्त आरिफ पुत्र जमशेद निवासी ग्राम फ्रांसगढ़ उर्फ फौलाद नगर थाना दोघट जनपद बागपत द्वारा वादी से 40 हजार रुपये की लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बड़ौत पर मु0अ0सं0 755/2016 धारा 392/411 भादवि पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 07.05.2026 को मा0 न्यायालय सीजेएम जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त आरिफ को दोषी पाते हुए 06 वर्ष 08 माह 18 दिन के कारावास व 2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।



है0का0 ईश्वर थानाबडौत कोर्ट पैरोकार

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा “ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

@baghatpolice

baghatpolice

Baghat Police



Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE



“ऑपरेशन कन्विकशन” के क्रम में छेडछाड की घटना कारित करने के आरोपियों सोनू व देवा उर्फ देव कुमार को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर प्रत्येक को हुआ 03 वर्ष काकठोर कारावास व 10,000 रुपये अर्थदण्ड की सजा-



अवगत कराना है कि वर्ष 2021 में अभियुक्तों सोनू पुत्र महीपाल व देवा उर्फ देव कुमार पुत्र पवन निवासीगण ग्राम गौरीपुर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत द्वारा वादिया व उसकी चचेरी बहन के साथ छेडछाड करने व जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 733/21 धारा 452/354बी/504/506 भादवि व 3(2)5ए एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 07.05.2026 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज स्पेशल एससी/एसटी एक्ट कोर्ट जनपद बागपत द्वारा अभियुक्तों सोनू व देवा उर्फ देव कुमार को दोषी पाते हुए प्रत्येक को 03 वर्ष के कठोर कारावास व 10-10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।



एजीसी श्री इन्द्रपाल सिंह

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा “ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।



है0का0 रविन्द्रकुमार कोर्ट पैराकार

@baghatpolice

baghatpolice

Baghat Police



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली

दिनांक 07.05.2026

थाना बिनौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 114/26 धारा 2(ख)1/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित 25-25 हजार रुपये के ईनामिया 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस बरामद ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 25.04.2026 को थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 114/26 धारा 2(ख)1/3 गैंगस्टर एक्ट बनाम 1- सुमित पंवार पुत्र परविन्दर उर्फ काला निवासी ग्राम मोजीजा बाद नागल थाना दोघट जनपद बागपत, हाल पता म0न0 155 बेरका रोड सेक्टर 35 धुनेला 982 सोहना गुडगांव हरियाणा उम्र- 28 वर्ष, 2- अभियुक्त सुमित उर्फ भोल्लर पुत्र बिजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम नांगल थाना दोघट जनपद बागपत उम्र करीब 27 वर्ष पंजीकृत हुआ था नामित दोनो अभियुक्तगण लगातार फरार चल रहे थे। जिसके सम्बन्ध में श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत 25 हजार रुपये का ईनाम घोषित किया गया था ।



कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के

निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शांति/इनामी

अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा थाना बिनौली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 114/26 धारा 2(ख)1/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित 25-25 हजार रुपये के इनामी 02 अभियुक्तों सुमित व सुमित उर्फ भोल्लर को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस बरामद हुए हैं।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बिनौली पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-सुमित पुत्र परविन्दर उर्फ काला निवासी ग्राम मोजीजा बाद नागल थाना दोघट जनपद बागपत, हाल पता बेरका रोड सेक्टर 35 धुनेला 982 सोहना गुडगांव हरियाणा उम्र- 28 वर्ष

2-सुमित उर्फ भोल्लर पुत्र बिजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम नांगल थाना दोघट जनपद बागपत उम्र करीब 27 वर्ष

गिरफ्तार अभियुक्त सुमित पुत्र परविन्दर उर्फ काला का अपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0सं0 114/26 धारा 2(ख)1/3 गैंगस्टर एक्ट थाना बिनौली जनपद बागपत

2-मु0अ0सं0-154/25 धारा 304(2)/317(2) बीएनएस थाना बिनौली जनपद बागपत

3-मु0अ0सं0 155/25 धारा 109(1) बीएनएस o 3/25/27 आर्मस एक्ट थाना बिनौली जनपद बागपत

4-मु0अ0सं0 319/25 धारा 304(2)/317(2) बीएनएस थाना बडौत जनपद बागपत

5-मु0अ0सं0 418/16 धारा 379/411 भादवि थाना झींझाना जनपद शामली

6-मु0अ0सं0 170/16 धारा 307 भादवि थाना दोघट जनपद बागपत

7-मु0अ0सं0 171/16 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना दोघट जनपद बागपत

8-मु0अ0सं0 01/17 धारा 2(B)(2)/3 गैंगस्टर एक्ट थाना दोघट जनपद बागपत

9-मु0अ0सं0 413/18 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना दोघट जनपद बागपत

10-मु0अ0सं0 169/16 धारा 392/397/411 भादवि थाना दोघट जनपद बागपत

11-मु0अ0सं0 461/18 धारा 302/201 भादवि थाना दोघट जनपद बागपत

12-मु0अ0सं0 1029/16 धारा 323/504/506 भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत

गिरफ्तार अभियुक्त सुमित उर्फ भोल्लर पुत्र बिजेन्द्र सिंह का अपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0सं0 154/25 धारा 304(2)/317(2) बीएनएस थाना बिनौली जनपद बागपत

2-मु0अ0सं0 155/25 धारा 109(1) बीएनएस 0 3/25/27 आर्मस एक्ट थाना बिनौली
जनपद बागपत

3-मु0अ0सं0 319/25 धारा 304(2)/317(2) बीएनएस थाना बडौत जनपद बागपत

4-मु0अ0सं0 461/18 धारा 302/201 भादवि थाना दोघट जनपद बागपत

5-मु0अ0सं0 63/23 धारा 3/25/35 आर्मस एक्ट थाना दोघट जनपद बागपत

6- मु0अ0स0114/26 धारा 2(ख)/1/3 गैगस्टर एक्ट थाना बिनौली जनपद बागपत

7- मु0अ0स0 125/26 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना बिनौली जनपद बागपत

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री नीलकान्त सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत


2-उ0नि0 श्री विकास कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत

3-है0का0 255 अफसर अली थाना बिनौली जनपद बागपत

4- है0का0 481 गुरदीप थाना बिनौली जनपद बागपत

5- रिक्रूट का0 492 जोगेन्द्र कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत

6- का0 574 ओमप्रकाशथाना बिनौली जनपद बागपत





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना छपरौली

दिनांक 07.05.2026

थाना छपरौली पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन शस्त्र अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बरामद हुआ है।



उपरोक्त गिरफ्तारी व

बरामदगी के सम्बन्ध में थाना छपरौली पर अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1- सावेज पुत्र सलीम निवासी ग्राम ककौर कलां थाना छपरौली जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ.नि. श्री सुनील कुमार थाना छपरौली ।
2. का0 511 धर्मेन्द्र थाना छपरौली ।
3. रि0का0 सतवीर थाना छपरौली ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक 07.05.2026

थाना बडौत पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार,
जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर बरामद ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन शस्त्र अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना बडौत पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।



महत्वपूर्ण सूचना---बागपत पुलिस द्वारा

सूचित किया जाता है कि कोई व्यक्ति अवैध अस्लाह का प्रयोग न करे तथा अवैध व लाईसेन्सी अस्लाह का प्रदर्शन न किया जाये यदि कोई ऐसा प्रकरण संज्ञान मे आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. सुहैल उर्फ चुहा पुत्र असगर निवासी मौ0 विजय नगर द्वितीय बिजली घर के पीछे कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत उम्र करीब 20 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा .315 बोर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री आदित्य कुमार थाना बड़ौता
2. है0का0 559 सचिन कुमार थाना बड़ौता
3. है0का0 542 अशोक कुमार थाना बड़ौता

